महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः सामान्य/10/2018/ 60069-195 दिनांक : 10-1-2020

आदेश

कारागार विभाग में प्रहरियों के 2907 पद स्वीकृत है। इनमें से जनवरी के अंत तक लगभग 450 पद रिक्त रहेंगे तथा शेष 2457 पदों पर पुरूष/ महिला प्रहरी नियुक्त होंगे।

महिला प्रहरियों की अधिकतर नियुक्तियॉं केन्द्रीय कारागृहों पर हुई है इसके फलस्वरूप वहॉ के स्वीकृत स्टाफ में इनका प्रतिशत 33 प्रतिशत या इससे अधिक हो गया है, जिससे पुरूष प्रहरियों का प्रतिशत 66 प्रतिशत या इससे कम हो गया है अर्थात तीनों शिफ्‌ट की ड्‌यूटी हेतु पुरूष प्रहरी उपलब्ध नहीं हो पा रहे है तथा पर्याप्त संख्या में भर्ती होने के बावजूद भी स्टाफ की कमी हो रही है। इसके अतिरिक्त कार्यालय व अन्य जगह ड्‌यूटी लगाने के बाद भी महिला प्रहरियों की ड्‌यूटी का अधिकतम उपयोग नहीं हो पा रहा है।

इस कारण केन्द्रीय कारागृहों पर प्रहरियों/मुख्य प्रहरियों की ड्‌यूटी निम्नानुसार लगाने का निर्णय लिया गया है:-

(a) सभी केन्द्रीय कारागृहों में तीन ड्‌यूटियों की शिफ्‌ट का समय निम्नानुसार होगा:-

(i) सुबह 04.00 ए.एम. से दोपहर 12.00 ए.एम.
(ii) दोपहर 12.00 ए.एम. से सांय 08.00 पी.एम.
(iii) सांय 08.00 पी.एम. से सुबह 04.00 ए.एम.

(b) महिला प्रहरियों की ड्‌यूटी सांय 08.00 पी.एम. से सुबह 04.00 ए.एम. तक तृतीय पारी में लगाई जायेगी। इस हेतु सभी बंदियों को (चाहे जेल सेवा में हो) रात्रि 07.45 पी.एम. तक बंद करना सुनिश्चित करे तथा 04 ए.एम. के बाद ही जेल खोला जाना सुनिश्चित किया जावे। इसका कारण है कि महिला प्रहरी जेल बंद होने के बाद जेल के अंदर प्रवेश करे तथा जेल खुलने से पहले जेल से बाहर आ जाये। इसका भी पूर्ण ध्यान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।

(c) महिला प्रहरियों की ड्‌यूटियॉं शुरूआत में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार से शुरू की जा रही है।

(d) अन्दर ड्‌यूटी प्रभारी उप कारापाल होगा। कारागृह के अन्दर ड्‌यूटी प्रभारी महिला मुख्य प्रहरी होगी।

(e) तृतीय पारी के दौरान पांच पुरूष कर्मचारियों (01 मुख्य प्रहरी एवं 04 प्रहरी जिसमें एक महिला प्रहरी सम्मिलित हो) की एक QRT टीम बनायी जाये, जो जेल में किसी भी आपात परिस्थिति (जैसे बंदी बीमार

हो, बंदियों में आपस में झगड़ा हो) में जेल के अन्दर जायेगी तथा आवश्यक कार्यवाही करेगी।

(f) गेट मुख्य प्रहरी समय-समय पर QRT टीम के सदस्यों के साथ कारागृह के वार्डो की गश्त करेगा।

(g) यदि महिला प्रहरियों की संख्या कम हो रही हो तो संबंधित महिला जेल से ड्यूटीयों का रोटेसन किया जावे।

(h) महिला प्रहरियों की ड्यूटी के दौरान एक बार एक जेल अधिकारी की गश्त सुनिश्चित की जाये।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

Sd.

(एन. रविन्द्र कुमार रेड्डी)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
3. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
4. अति. निजी सचिव, अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।
5. उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
6. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, राजस्थान।
8. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, जिला कारागृह, राजस्थान।
9. समस्त अधीक्षक/प्रभारी, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा /अजमेर/भरतपुर/बीकानेर।
10. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
11. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर।
12. अधीक्षक, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास (दौसा)
13. समस्त प्रभाराधिकारी, उप कारागृह, राजस्थान।
14. प्रभारी कम्प्यूटर लैब को वास्ते अपलोड हेतु।
15. समस्त शाखा प्रभारी, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
16. रक्षक पत्रावली।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर